रूप क्रमांक-६ (देखिये नियम ४)

वयस्क होने पर साझेदारी के हितों में सम्मिलित कर लिये गये व्यक्ति द्वारा चुनाव का सूचना पत्र (फर्मों के रिजिस्ट्रार को प्रकरण - पत्र में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तुत या प्रेषित)

	इंडियन पार्टनरि	प एक्ट, १९३३	२ की धारा ६	३(२) के अधीन	यह सूचना द	दी जाती है में साझेदारी	कि फर्म के हितों
में सम्मि को अब व	ालित कर लिये वयस्क हो जाने प	गये 1र उक्त फर्म व	न साझेदार हो				
				चुनाव करने व प्राधिकृत प्रतिनि			र रूप से